



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 अग्रहायण 1941 (श0)
(सं0 पटना 1329) पटना, वृहस्पतिवार, 12 दिसम्बर 2019

विधि विभाग

अधिसूचना

12 दिसम्बर 2019

सं० एल०जी०-01-16/2019-8872/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 10 दिसम्बर 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 21, 2019]

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**—(1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 में संशोधन।**— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 के खंड (4) में, “अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी,” शब्दों के पश्चात्, “राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण,” शब्द रखे जाएंगे।

3. **मूल अधिनियम की धारा 10 में संशोधन।**— मूल अधिनियम की धारा 10 में, —

(क) उपधारा (1) में दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण —दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदशित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।”,

(ख) उपधारा (2) में, —

(i) खंड (घ) के अन्त में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ड.) में “अधिसूचित किया जाए”; शब्दों के स्थान पर, “अधिसूचित किया जाए; और” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:”;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसका पूर्व वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, विहित की जाने वाली दर पर, जो राज्य में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,—

(क) किसी ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर लगाने योग्य नहीं है;

(ख) माल या सेवाओं की अंतरराज्यीय जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और

(ड.) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय—कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं।” :

(घ) उपधारा (3) में, “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ड.) उपधारा (4) में, “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)” शब्द कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (5) में, “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(छ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 1— इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए इसके संकलित आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, “संकलित

आवर्त" पद के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां सम्मिलित होंगी, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2 — इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, "राज्य में आवर्त" में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात् :—

(i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और

(ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति।"

4. मूल अधिनियम की धारा 22 में संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, बीस लाख रुपए के संकलित आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो किसी ऐसे पूर्तिकार की दशा में, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिसूचित की जाए।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, यदि वह निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।"

5. मूल अधिनियम की धारा 25 में संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 25 में उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विहित किए जाने वाले प्ररूप और रीति तथा समय के भीतर सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा :

परंतु यह और कि सत्यापन कराने या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आवंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां किसी व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति को पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6ग) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही, व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, सत्यापन कराएगा या ऐसी रीति में, जो अधिसूचित की जाए, कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों, यथास्थिति, संगम की प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों द्वारा, ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, उन्हें पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या वर्गों या राज्य के किसी ऐसे भाग पर लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आधार संख्यांक" पद का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में उसका है।"

6. मूल अधिनियम में नई धारा 31क का अंतःस्थापन।— मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“31क. प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा— सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता को इलैक्ट्रॉनिक संदाय का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो विहित किए जाएं, अधीन रहते हुए तदनुसार संदाय करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा।”

7. मूल अधिनियम की धारा 39 में संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 39 में,— (क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, राज्य में आवर्त, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा।”;

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर का संदाय उस तारीख से पूर्व करेगा, जिसको उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है :

परंतु उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा :

परंतु यह और कि उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, राज्य में आवर्त, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा।”

8. मूल अधिनियम की धारा 44 में संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर के आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।”

9. मूल अधिनियम की धारा 49 में संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या उपकर संबंधी इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते से प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा।

(11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।”

10. मूल अधिनियम की धारा 50 में संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा

74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते से राशि को निकालकर किया गया है।”।

11. मूल अधिनियम की धारा 52 में संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 52 में,—

(क) उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय—सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर के आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय—सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।”।

(ख) उपधारा (5) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय—सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर के आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय—सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।”।

12. मूल अधिनियम में नई धारा 53क का अंतःस्थापन।— मूल अधिनियम अधिनियम की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“53क. कतिपय रकमों का अंतरण— जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते से केन्द्रीय कर या एकीकृत कर या उपकर के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित किया जाता है, वहां सरकार केन्द्रीय कर या एकीकृत कर या उपकर खाते को, इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते से अंतरित की गई रकम के बराबर रकम का ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी”।

13. मूल अधिनियम की धारा 54 में संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 54 में उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा दिनांक 01 सितम्बर, 2019 के प्रभाव से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(8क) जहां केन्द्र सरकार ने राज्य कर के रिफंड को वितरित कर दिया है, सरकार रिफंड की गयी धनराशि के बराबर राशि केन्द्र सरकार को हस्तांतरित करेगी।”।

14. मूल अधिनियम की धारा 95 में संशोधन।—मूल अधिनियम की धारा 95 में, —

(i) खंड (क) में,—

(क) “अपील प्राधिकरण” शब्दों के स्थान पर, “अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) “धारा 100 की उपधारा (1)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “धारा 100 की उपधारा (1) या धारा 101ग” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(च) ‘राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण’ से धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है।”।

15. मूल अधिनियम में नई धारा 101क, धारा 101ख और धारा 101ग का अंतःस्थापन।— मूल अधिनियम अधिनियम की धारा 101 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“101क. राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन— इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 101क के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण समझा जायेगा।

101ख. राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील—

(1) जहां धारा 97 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट प्रश्नों के संबंध में, धारा 99 के तहत गठित अपीलीय प्राधिकरण और किसी अन्य राज्य या राज्यों या किसी केन्द्र शासित प्रदेश या केन्द्र शासित प्रदेशों या दोनों के अपीलीय प्राधिकारी द्वारा धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (3) के अधीन विरोधाभासी अग्रिम विनिर्णय दिये जाते हैं, वहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या आवेदक, जो धारा 25 में यथानिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्ति है और जो ऐसे अग्रिम विनिर्णय से व्यथित है तो वह राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, आवेदकों, संबंधित अधिकारियों और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किया गया है, तीस दिन की अवधि के भीतर फाईल की जाएगी :

परन्तु आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को संसूचित किया गया है, नब्बे दिन की अवधि के भीतर फाइल कर सकेगा :

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को, यथास्थिति, उक्त तीस दिन या नब्बे दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन से अनधिक और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

स्पष्टीकरण— शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यथास्थिति तीस दिन या नब्बे दिन की अवधि की गणना, उस तारीख से की जाएगी, जिसको अंतिम विरोधाभासी विनिर्णय को, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संसूचित किया गया था।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी, उसके साथ ऐसी फीस होगी और उसे ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा, जो विहित की जाए।

101ग. राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का आदेश—

(1) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, केंद्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त तथा सभी राज्यों के राज्य कर मुख्य आयुक्त और आयुक्त और सभी संघ राज्यक्षेत्रों के संघ राज्यक्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस विनिर्णय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित करने वाला ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) यदि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की किसी बिन्दु या बिन्दुओं पर भिन्न राय है, तो उसका विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आदेश धारा 101ख के अधीन अपील फाइल करने की तारीख से यथासंभव रूप से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अवधारित किया जाएगा।

(4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रति को सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित किया जाएगा, जो विहित की जाए, और उसे सुनाए जाने के पश्चात्, यथास्थिति, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड, सभी राज्यों के राज्य कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त तथा सभी संघ राज्यक्षेत्रों के संघ राज्यक्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त को और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को भेजा जाएगा।”।

16. मूल अधिनियम की धारा 102 में संशोधन।—मूल अधिनियम की धारा 102 में,—

(क) “अपील प्राधिकरण” शब्दों के पश्चात् दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे:

(ख) “धारा 98 या धारा 101” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “यथास्थिति, धारा 98 या धारा 101 या धारा 101ग” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) “या अपीलार्थी” शब्दों के स्थान पर “, अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण” शब्द रखे जाएंगे।

17. मूल अधिनियम की धारा 103 में संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 103 में,—

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर आबद्धकर होगा—

(क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने धारा 101ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा है और वे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वही स्थायी खाता संख्यांक है (आय—कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया);

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका आय—कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया समान स्थायी खाता संख्यांक है, की बाबत संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी।”;

(ii) उपधारा (2) में “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् “और उपधारा (1क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

18. मूल अधिनियम की धारा 104 में संशोधन।—मूल अधिनियम की धारा 104 में, उपधारा (1) में, —

(क) “प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण” शब्दों के पश्चात् “या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) “धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात् “या धारा 101ग के अधीन” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

19. मूल अधिनियम की धारा 105 में संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 105 में,—

(क) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

“प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां”;

(ख) उपधारा (1) में, "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) में, "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

20. मूल अधिनियम की धारा 106 में संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 106 में, —

(क) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया";

(ख) "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

21. मूल अधिनियम की धारा 171 में संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3क) जहां उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जांच करने के पश्चात् उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा :

परंतु ऐसी कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए "मुनाफाखोरी" पद से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरूपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है।"

22. मूल अधिनियम की धारा 174 में संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 174 में, 01 जुलाई, 2017 के प्रभाव से उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (1क) अंतःस्थापित की जायेगी और हमेशा अंतःस्थापित की हुई समझी जाएगी—

"(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी —

(क) उपधारा (1) के खंड (ग) के प्रावधान वाणिज्य—कर विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी अधिसूचना सं० एस०ओ० 391, दिनांक 10 नवम्बर, 2011 पर लागू नहीं होंगे, और

(ख) वाणिज्य—कर विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी अधिसूचना सं० एस०ओ० 391, दिनांक 10 नवम्बर, 2011 की वैधता दिनांक 30 जून, 2017 तक विस्तारित की जाती है।"

23. बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं० 545 का भूतलक्षी रूप से संशोधन।— (1) बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा जारी वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या 02/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या— 545, दिनांक 29 जून 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, की अनुसूची में क्रम सं. 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से अंतःस्थापित की हुई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"103क	26	यूरेनियम अयस्क सांद्र"।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सरकार के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और होनी समझी जाएगी मानो सरकार के पास उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी।

(3) कोई प्रतिदाय सभी ऐसे करों, जिन्हें संग्रहित किया गया है, किंतु जो संग्रहित नहीं किए गए होते यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती, में से नहीं किया जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

12 दिसम्बर 2019

सं० एल०जी०-01-16/2019-8873/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर 2019 को अनुमत बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 21, 2019]
THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)
ACT, 2019
AN
ACT

further to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

BE It enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventieth Year of the Republic of India as follows :-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019.

(2) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 2.- In section 2 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (4), after the words “the Appellate Authority for Advance Ruling,”, the words “the National Appellate Authority for Advance Ruling,” shall be inserted.

3. Amendment of section 10.- In section 10 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), after second proviso, the following *Explanation* shall be inserted, namely :-

“*Explanation.*- For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in State.”;

(b) in sub-section (2),-

- (i) in clause (d), the word “and” occurring at the end shall be omitted;
- (ii) in clause (e), for the word “Council:”, the words “Council; and” shall be substituted;
- (iii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

“(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person.”;

(c) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:-

“(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, not eligible to opt to pay tax under sub-section (1) and sub-section (2), whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three per cent. of the turnover in State, if he is not—

(a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;

(b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;

(c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52;

(d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and

(e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub-section.”;

(d) in sub-section (3), after the words, brackets and figure “under sub-section (1)” at both the places where they occur, the words, brackets, figure and letter “or sub-section (2A), as the case may be,” shall be inserted.

(e) in sub-section (4), after the words, brackets and figure “of sub-section (1)”, the words, brackets, figure and letter “or, as the case may be, sub-section (2A)” shall be inserted.

(f) in sub-section (5), after the words, brackets and figure “under sub-section (1)”, the words, brackets, figure and letter “or sub-section (2A), as the case may be,” shall be inserted.

(g) after sub-section (5), the following *Explanations* shall be inserted, namely:—

Explanation 1.—For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression “aggregate turnover” shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2.—For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression “turnover in State” shall not include the value of following supplies, namely:—

(i) supplies from the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this Act; and

(ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.’.

4. Amendment of section 22.— In section 22 of the principal Act, in sub-section (1), after the second proviso, the following shall be inserted, namely:—

“Provided also that the Government may, on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and limitations, as may be notified.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.”.

5. Amendment of section 25.— In section 25 of the principal Act, after sub-section (6), the following sub-sections shall be inserted, namely:-

“(6A) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

(6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, such number of partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorised representative, authorised signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar Number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6D) The provisions of sub-section (6A) or sub-section (6B) or sub-section (6C) shall not apply to such person or class of persons or such part of the State, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression “Aadhaar number” shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.”.

6. Insertion of new section 31A.— After section 31 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

“**31A. Facility of digital payment to recipient** - The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.”.

7. Amendment of section 39.— In section 39 of the principal Act,—

(a) for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit

availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

(2) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.”;

(b) for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1), other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided further that every registered person furnishing return under sub-section (2) shall pay to the Government, the tax due taking into account turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.”.

8. Amendment of section 44.— In the principal Act, in section 44, in sub-section (1), the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”.

9. Amendment of section 49.— In section 49 of the principal Act, after sub-section (9), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

“(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, State tax, or cess, in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.

(11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1).”.

10. Amendment of section 50.— In section 50 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger.”.

11. Amendment of section 52.- In section 52 of the principal Act,—

(a) in sub-section (4), the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”;

(b) in sub-section (5), the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”.

12. Insertion of new section 53A.- After section 53 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

“**53A. Transfer of certain amounts** - Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger for central tax or integrated tax or cess, the Government shall, transfer to the central tax account or integrated tax account or cess account, an amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed.”.

13. Amendment of section 54.- In section 54 of the principal Act, after sub-section (8), the following sub-section shall be inserted with effect from 1st day of September, 2019, namely:—

“(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of the State tax, the Government shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government.”.

14. Amendment of section 95.- In section 95 of the principal Act,-
(i) in clause (a),-

(a) after the words “Appellate Authority”, the words “or the National Appellate Authority” shall be inserted;

(b) after the words and figures “of section 100”, the words, figures and letter “or of section 101C” shall be inserted;

(ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

“(f) “National Appellate Authority” means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in section 101A.’.

15. Insertion of new sections 101A, 101B and 101C.- After section 101 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

“**101A. Constitution of National Appellate Authority for Advance Ruling-** Subject to the provisions of this Chapter, for the purposes of this Act, the National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 101A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act.

101B. Appeal to National Appellate Authority.-

(1) Where, in respect of the questions referred to in sub-section (2) of section 97, conflicting advance rulings are given by the Appellate Authority constituted under section 99 and the Appellate Authority of any other State or States or of a Union territory or Union territories or both under sub-

section (1) or sub-section (3) of section 101, any officer authorised by the Commissioner or an applicant, being distinct person referred to in section 25 aggrieved by such advance ruling, may prefer an appeal to National Appellate Authority.

(2) Every appeal under this section shall be filed within a period of thirty days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the applicants, concerned officers and jurisdictional officers:

Provided that the officer authorised by the Commissioner may file appeal within a period of ninety days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the concerned officer or the jurisdictional officer:

Provided further that the National Appellate Authority may, if it is satisfied that the appellant was prevented by a sufficient cause from presenting the appeal within the said period of thirty days, or as the case may be, ninety days, allow such appeal to be presented within a further period not exceeding thirty days.

Explanation.— For removal of doubts, it is clarified that the period of thirty days or as the case may be, ninety days shall be counted from the date of communication of the last of the conflicting rulings sought to be appealed against.

(3) Every appeal under this section shall be in such form, accompanied by such fee and verified in such manner as may be prescribed.

101C. Order of National Appellate Authority.-

(1) The National Appellate Authority may, after giving an opportunity of being heard to the applicant, the officer authorised by the Commissioner, all Principal Chief Commissioners, Chief Commissioners of Central tax and Chief Commissioner and Commissioner of State tax of all States and Chief Commissioner and Commissioner of Union territory tax of all Union territories, pass such order as it thinks fit, confirming or modifying the rulings appealed against.

(2) If the members of the National Appellate Authority differ in opinion on any point, it shall be decided according to the opinion of the majority.

(3) The order referred to in sub-section (1) shall be passed as far as possible within a period of ninety days from the date of filing of the appeal under section 101B.

(4) A copy of the advance ruling pronounced by the National Appellate Authority shall be duly signed by the Members and certified in such manner as may be prescribed and shall be sent to the applicant, the officer authorised by the Commissioner, the Board, the Chief Commissioner and Commissioner of State tax of all States and Chief Commissioner and Commissioner of Union territory tax of all Union territories and to the Authority or Appellate Authority, as the case may be, after such pronouncement.”.

16. Amendment in section 102.- In section 102 of the principal Act, in the opening portion,-

(a) after the words “Appellate Authority”, at both the places where they occur, the words “or the National Appellate Authority” shall be inserted;

(b) after the words and figures “or section 101”, the words, figures and letter “or section 101C respectively,” shall be inserted;

(c) for the words “or the appellant”, the words “, appellant, the Authority or the Appellate Authority” shall be substituted.

17. Amendment in section 103.- In section 103 of the principal Act,-

(i) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:-

“(1A) the Advance Ruling pronounced by the National Appellate Authority under this Chapter shall be binding on-

(a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub-section (1) of section 101B and all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961.”;

(b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred to in clause (a) and the registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961.”;

(ii) in sub-section (2), after the words, brackets and figure “in sub-section (1)”, the words, brackets, figure and letter “and sub-section (1A)” shall be inserted.

18. Amendment in section 104.- In section 104 of the principal Act, in sub-section (1),-

(a) after the words “Authority or the Appellate Authority”, the words “or the National Appellate Authority” shall be inserted;

(b) after the words and figures “of section 101”, the words, figures and letter “or under section 101C” shall be inserted.

19. Amendment in section 105.- In section 105 of the principal Act,-

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

“Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.”;

(b) in sub-section (1), after the words “Appellate Authority”, the words “or the National Appellate Authority” shall be inserted;

(c) in sub-section (2), after the words “Appellate Authority”, the words “or the National Appellate Authority” shall be inserted.

20. Amendment in section 106.- In section 106 of the principal Act,-

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

“Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.”;

(b) after the words “Appellate Authority”, the words “or the National Appellate Authority” shall be inserted.

21. Amendment in section 171.- In section 171 of the principal Act, after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:-

“(3A) Where the Authority referred to in sub-section (2), after holding examination as required under the said sub-section comes to the conclusion

that any registered person has profiteered under sub-section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent. of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation.- For the purposes of this section, the expression “profiteered” shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both.”.

22. Amendment in section 174.- In section 174 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017, after sub-section (1) the following new sub-section (1A) shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted-

"(1A) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1)-

(a) nothing contained in the proviso to clause (c) of sub-section (1) shall apply to notification number S.O 391, dated 10th November, 2011 issued by the Commercial Taxes Department, Government of Bihar, Patna, and

(b) the validity of notification number S.O 391, dated 10th November, 2011 issued by the Commercial Taxes Department, Government of Bihar, Patna is extended till the 30th day of June, 2017."

23. Amendment in notification no. 545 issued under sub-section (1) of section 11 of Bihar Goods and Services Tax Act, retrospectively. - In the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 02/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 545, dated the 29 June, 2017, issued by the State Government on the recommendations of the Council, under sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, in the Schedule, after S.No.103 and the entries relating thereto, the following S.No. and the entries shall be inserted and shall deemed to have been inserted retrospectively with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

(1)	(2)	(3)
“103A	26	Uranium Ore Concentrate”.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in sub-section (1) with retrospective effect as if the Government had the power to amend the said notification under sub-section (1) of section 11 of the said Act, retrospectively, at all material times.

(3) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, if the notification referred to in sub-section (1) had been in force at all material times.

By Order of the Governor of Bihar,
Madan Kishore Kaushik,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1329-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

IndiaCode